

Government of India भारत सरकार

Ministry of Finance Department of Revenue वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, CGST & CX, BISHNUPUR DIVISION KOLKATA SOUTH COMMISSIONERATE,

CENTRAL GST BHAWAN, 180, SHANTIPALLY, RAJDANGA MAIN ROAD, R.B. CONNECTOR (5TH FLOOR), KOLKATA-700107

C.No.V(30)6-CGST/Tech/BPD/Kol-South/RTI/2017-18

Dated: 14.01. 2018

To Sh. Ashish Kumar Sharma Angan Apartment, 1st floor, FlatNo:-1D Kaju Bagan, P.O. Hehal Dist. Ranchi,Jharkhand Pin-834005.

Sub: Furnishing of Information under RTI Act, 2005 – reg.

Please refer to your RTI application dated 10.12.2018 which has been forwarded to this office under Section 6(3) of RTI Act, 2005 by the Assistant Commissioner & CPIO, Kolkata South CGST & CX Commissionerate, Kolkata on the above subject.

In connection with the above, it is to inform you that the information as sought for by you in respect of Bishnupur Division is Nil as there are no petroleum tanker manufacture assessee registered under the jurisdiction of Bishnupur Division.

If you are aggrieved or dissatisfied with the reply, you are at liberty to prefer First Appeal within the stipulated time i.e. 30 (thirty) days from the receipt of this reply before Shri. Debojit Bose, Additional Commissioner & 1st Appellate Authority under RTI Act, 2005, CGST & CX, Kolkata South Commissionerate, GST Bhawan, 180 Rajdanga Main Road, Shantipally, Kolkata-700107.

(Pandiyaraj G.V)
CPIO & Assistant Commissioner
CGST & CX,Bishnupur Division,
Kolkata South Commissionerat

C.NO. As above

Dt. 14.01.2019

 Copy forwarded to the CPIO & Deputy Commissioner & CCO, CGST & CX, Kolkata Zone Commissionerate.

2. Copy forwarded to the Assistant/Deputy Commissioner & CPIO, CGST & CX, Kolkata South Commissionerate.

(Pandiyara) G.V.

CPIO & Assistant Commissioner CGST & CX, Bishnupur Division, Kolkata South Commissionerate

do



जन सुचना अधिकार अधिनियम २००५ के धारा ६ (3) के तहत सुचना अभिप्राप्त कराने हेतु आवेदन।

सेवा में, आयुक्त केन्द्रीयकर जन सुचना पदाधिकारी हावड़ा केंद्रीय माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोलकाता

विषय :- सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 6 (3) के तहत निम्नलिखित सुचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है की निम्नलिखित सुचना साक्ष्य हेतु सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करे।

(1) संपूर्ण कोनकाता और हावड़ा में सभी पेट्रोलियम टैंकर निर्माता के द्वारा विस्फोटक विभाग में अनुज्ञप्ति हेतु जाली जी.एस.टी बिन दिया जा रहा है और विस्फोटक विभाग के द्वारा पेट्रोलियम रोड टैंकरों का अनुज्ञप्ति जारी किया जा रहा है। संपूर्ण पेट्रोलियम टैंकर निर्माता जी .एस.टी.के नाम से टैंकर मालिक से जी.एस.टी.का पैसा ले रहे है, जो कानूनन अपराध है और सरकार की कानून की अवमानना कर रहे है। संपूर्ण पेट्रोलियम टैंकर निर्माता द्वारा जब से जी.एस.टी नागु हुआ है, हावड़ा एवं कोनकाता के संपूर्ण पेट्रोलियम टैंकर निर्माता द्वारा दिया गया जी.एस.टी. बिन का भुगतान किया गया है इसकी संपूर्ण सत्यापित बिन की प्रति साक्ष्य हेतु उपलब्ध कराने की कृपा करे।

(2) हावड़ा एवं कोलकाता के संपूर्ण पेट्रोलियम टैंकर निर्माता द्वारा जितना भी टैंकर निर्माण किया गया है,एवं कितना टैंकरों का जी.एस.टी . बिल अब तक तक टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुआ है सभी बिलो की सत्यापित प्रति साक्ष्य हेतु उपलब्ध कराने की कृपा करे।

नोट :- तय सीमा के अन्दर सुचना उपलब्ध नहीं होने पर हुए छति के लिए प्रार्थना पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य रहूँगा।

संतरन :- शुल्क भारतीय पोर्टल आर्डर संख्या ४३३८२१ रुपया १०/- मात्र।

आवेदन कर्ता का नाम एवं पता :-

आशीष कुमार शर्मा

आँगन अपार्टमेंट

प्रथम तल, फ्लैट न0 - 1 डी

काजू बागान,पोस्ट - हेहल

जिला – रांची, झारखण्ड

पिन - 834005

आपका विश्वासी

Alshish Kumar Sharma District Resource Person

and RTI Activists Ranchi, Jharkhand-834001